भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1115

दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

विधवाओं हेतु कल्याणकारी योजनाएं

1115. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कई शहरों में कई विधवाएं कष्टपूर्ण और दयनीय जीवन जी रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी विधवाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख): 2011 की जनगणना में देश में महिलाओं की संख्या, न कि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक हालत दर्शायी गई है। भारतीय महापंजीयक द्वारा संचालित दशकीय जनगणना 2011 के अनुसार विधवाओं की संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

(ग): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनेक स्कीमें चलायी जा रही हैं जो विधवाओं की सामान्य आवश्यकताओं पर भी ध्यान देती हैं। कुछ स्कीमों में आबादी का बड़ा वर्ग शामिल होता है जिसका महिलाएं भाग हैं, विधवा विशिष्ट स्कीमें भी हैं। इस संबंध में भारत सरकार की मुख्य स्कीमें इस प्रकार हैं :

- विधवाओं के लिए गृहः वृंदावन, यूपी में विधवाओं को आवास का सुरक्षित एवं निरापद स्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषक भोजन, विधिक एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 1000 अंत:वासियों की क्षमता वाला विधवा गृह स्थापित किया गया है।
- स्वाधार गृह स्कीमः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह स्कीम चला रहा है जिसमें कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए संस्थानिक रूप रेखा प्रदान करने की परिकल्पना है ताकि वे अपना जीवन गरिमा एवं विश्वास के साथ जी सकें।

- महिला शक्ति केन्द्र स्कीम: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की महिला शक्ति केन्द्र स्कीम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना तथा ऐसा माहौल सृजित करना है जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम: ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम चला रहा है जिसके तहत विधवाओं के लिए पेंशन स्कीम और गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम चलायी जाती है।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम: ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम चला रहा है जिसके तहत कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में दुखी परिवार को एकमुस्त सहायता के रूप में 20000 रूपये का मौद्रिक अनुदान दिया जाता है।
- अन्नपूर्णा स्कीम: ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्नपूर्णा स्कीम के तहत ऐसे पात्र बुजुर्गों को 10 किलो खाद्यान्न दिया जाता है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत शामिल नहीं हैं।
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना: ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए दक्ष एवं प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म का सृजन करना है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू) का उद्देश्य महिलाओं के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराना है।
- नारी आर्थिक सशक्तीकरण योजना: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आय अर्जन की गतिविधियां शुरू करने के लिए अनुसूचित जातियों, एकल महिलाओं/विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए नारी आर्थिक सशक्तीकरण योजना चला रहा है।
- बुजुर्गों के लिए एकीकृत कार्यक्रम: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुजुर्गों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चला रहा है।
- भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता: रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण, पेंशन न पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं की गंभीर बीमारियों के ईलाज तथा बेटियों के विवाह/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

****

अनुलग्नक- I

"विधवाओं हेतु कल्याणकारी योजनाएं" विषय पर श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा दिनांक 28 जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1115 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण 2011 की जनगणना के अनुसार विधवाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विधवाओं की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	283650
2	हिमाचल प्रदेश	293475
3	पंजाब	928158
4	चंडीगढ़	24496
5	उत्तराखंड	387215
6	हरियाणा	773297
7	दिल्ली	456613
8	राजस्थान	1983634
9	उत्तर प्रदेश	4856188
10	बिहार	2238793
11	सिक्किम	13717
12	अरुणाचल प्रदेश	31787
13	नागालैंड	39496
14	मणिपुर	77990
15	मिजोरम	28569
16	त्रिपुरा	164969
17	मेघालय	84825
18	असम	1156042
19	पश्चिम बंगाल	3792184
20	झारखंड	1027878
21	ओडिशा	1612627
22	छत्तीसगढ	973787
23	मध्य प्रदेश	2160609
24	गुजरात	2015742
25	दमन और दीव	6816
26	दादर और नागर हवेली	7378
27	महाराष्ट्र	4520764
28	आंध्र प्रदेश	4297481
29	कर्नाटक	2989429
30	गोवा	77935
31	लक्षद्वीप	2448
32	केरल	2010984
33	तमिलनाडु	3856398
34	पुद्दुचेरी	73579
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12525
	भारत	**43261478**